न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।

UPSD010000312026

Bail Application/10/2026

1. महंगीलाल पुत्र मंगरू
2. राममिलन पुत्र मंगरू
3. नीलम पुत्री राममिलन
4. आशा पत्नी राममिलन

साकिनान बसावनपुर, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर।

––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

सरकार उ०प्र०

––विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मु०अ०सं०–135/2025
धारा–191(2),115(2),352 BNS व
3(1)द,ध, 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट
थाना–उसका बाजार, जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10–03–2026

अभियुक्तगण महंगीलाल, राममिलन, नीलम व आशा की ओर से मु०अ०सं०–135/2025 धारा–191(2),115(2),352 BNS व 3(1)द, ध, 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना–उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्रार्थीगण बेगुनाह एवं निर्दोष है, महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी मुकदमें में फंसाए गए है। प्रार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे कथित कोई अपराध कारित नहीं किये है। प्रार्थीगण का श्रीमान् जी के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित हुई है। प्रार्थीगण के ऊपर आयत धाराएं एस.सी एसटी छोड़कर सभी धाराए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण संभ्रान्त परिवार के व्यक्ति है जिससे अन्देशा मफरूरी हरगिज नहीं है एवम् अदालत द्वारा आहूत किए जाने पर प्रार्थीगण बराबर हाजिर आते रहेगे, तथा प्राप्त जमानत का दुरुपयोग नही करेंगे। प्रार्थीगण का कोई भी

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.10 16:31:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा को जारी नोटिस तामील होकर के प्राप्त है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर धारा 3(1)द,ध,3(2)(vए) SC/ST Act के अतिरिक्त अन्य सभी आरोपित अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। अभियुक्तगण आज तक अन्तरिम जमानत पर रहें हैं। दौरान अन्तरिम जमानत अभियुक्तगण द्वारा जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मंहगीलाल, राममिलन, नीलम व आशा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनॉकः–10–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 2753